



दूरभाष : (का०) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जलभवन' बी-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून-248001

पत्रांक- 6977/सेवा का अधिकार/2022-23

दिनांक: 30-12-2022

सेवा में,

अपर सचिव,
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय: सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं की समय-सीमा का स्तरवार विभाजन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-5607/40198/2022 दिनांक 09-11-2022 के साथ संलग्न कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6 देहरादून के पत्र संख्या-322 दिनांक 20-10-2022 के अनुपालन में पेयजल से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1337 दिनांक 28-10-2011 एवं शासनादेश संख्या-137 दिनांक 02-03-2021 से सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं में सेवा अवधि का स्तर-वार विभाजन का संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार है।

पेयजल विभाग:						
क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
			स्तर-वार समय	कुल समय		
1	2	3	4	5	6	7
1	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।					
(क) 15 एम०एम० व्यास के जल संयोजन		राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशायी अभियन्ता	3 दिवस			
(ख) 20 एम०एम० व्यास के जल संयोजन		राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशायी अभियन्ता	3 दिवस			
(ग) 25 एम०एम० व्यास के जल संयोजन		राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
		अधिशायी अभियन्ता	6 दिवस			

60

1337/

XXI (1)

6/2011

के 28/28

31024C

2011

	(घ) 32 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	6 दिवस			
	(ड) 40 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	6 दिवस	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	12 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	6 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	6 दिवस			
	(घ) 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	5 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
	(छ) 50 एम0एम0 व्यास से अधिक के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान / सचिव पेयजल
		कनिष्ठ अभियन्ता	10 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	4 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	4 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
2	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां मकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	3 दिवस	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	3 दिवस			
3	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां किसी कालोनी अथवा किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	5 दिवस	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	5 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदामिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
			स्तर-वार समय	कुल समय		
1	2	3	4	5	6	7
1	जल संयोजन विच्छेदन एवं पुनर्संयोजन	राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशाली अभियन्ता	2 दिवस			

G.D

137/xx
(6) 12021-
(04) 16 954
8-12 2 मा 2
2021

2	सीवर संयोजन विच्छेदन एवं पुनर्संयोजन	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशासी अभियन्ता	2 दिवस			
3	जहाँ साध्य हो वहाँ पूर्व से स्थापित जल संयोजन/सीवर संयोजन का स्वामित्व या किरायेदारी का अन्तरण स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	राजस्व निरीक्षक/संबंधित कार्मिक	1 दिवस	7 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	2 दिवस			
		सहायक अभियन्ता	2 दिवस			
		अधिशासी अभियन्ता	2 दिवस			

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सेवाओं को अधिसूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित करवाने का कष्ट करेंगे।

भवदीया

(नीलिमा गर्ग)

मुख्य महाप्रबन्धक

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि-

अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबन्धक